



पत्र संख्या- कार्य०का०सू०- 14/2016- 4636 वि०स० दिनांक - 14/9/16

प्रिय

षोडश बिहार विधान सभा का तृतीय सत्र दिनांक 29 जुलाई, 2016 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 16 अगस्त, 2016 को सभा की बैठक के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। तृतीय सत्र में कुल छः (6) बैठकें संपन्न हुई।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा षोडश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र के शुभारंभ के अवसर पर माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए उल्लेख किया गया कि संसदीय प्रणाली में विधान सभा एक प्रतिनिधि सभा होती है एवं यह निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। आम लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं एवं समस्याओं की सदन में अभिव्यक्ति होती है तथा उनका समाधान ढूंढा जाता है। सदन के भीतर और बाहर गरिमापूर्ण आचरण माननीय सदस्यों के प्राथमिक दायित्वों में एक है। सदस्यों को अपनी बात सशक्त और प्रभावकारी ढंग से रखनी चाहिए, किन्तु ऐसी बातों से बचना चाहिए जो सदन के नियम, परम्पराओं एवं प्रथाओं के प्रतिकूल हो।

पिछले बजट सत्र के बाद से अबतक माननीय सदस्यों की भूमिका को कारगर बनाने के लिए पिछले दिनों सभा सचिवालय द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। दिनांक 26 जुलाई, 2016 को वित्तीय समितियों की कार्य प्रणाली एवं दायित्वों के संबंध में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें विधायी शोध से जुड़ी संस्था पी०आर०एस० लेजिस्लेटिव रिसर्च, नई दिल्ली तथा लोक सभा में वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ ने वित्तीय समितियों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी गयी।

सभी विधान सभा क्षेत्रों का अलग-अलग पार्श्वचित्र (Profile) तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में कई माननीय सदस्यों से सूचनाएं प्राप्त भी हुई हैं। उन्हें धन्यवाद देते हुए शेष माननीय सदस्यों से आग्रह है कि शीघ्र अपने क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने की कृपा करें, जिससे क्षेत्रवार प्रोफाइल तैयार किया जा सके। मुझे आशा एवं विश्वास है कि सदन के सफल कार्य संचालन में आप सबों का सहयोग प्राप्त होगा।

अनुमत विधेयक

दिनांक 29 जुलाई, 2016 को द्वितीय सत्र में बिहार विधान मंडल द्वारा पारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत 7 (सात) विधेयक तथा दिनांक 16 अगस्त, 2016 को तृतीय सत्र में बिहार विधान मंडल द्वारा पारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत 5 (पाँच) विधेयक के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया।

वित्तीय कार्य

दिनांक 29 जुलाई, 2016 को वित्त मंत्री श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया गया दिनांक 03 अगस्त, 2016 को प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात सभा द्वारा स्वीकृत हुआ एवं शेष माँग गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये। तदुपरान्त बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2016 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

सभा भेज पर कागजात का रखा जाना

1. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के उपलब्धि प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
2. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम- 2006 की धारा-11 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में चतुर्थ तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
3. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम- 2006 की धारा-11 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में प्रथम तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।
4. भवन निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के तहत बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड का वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी ।

विधायी कार्य

सदन द्वारा सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयकों का पुरःस्थापन, विचारण एवं पारण किया गया ।

1. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2016
2. बिहार भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2016
3. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2016
4. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक, 2016
5. बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016
6. बिहार विधि निरसन (जो आवश्यक अथवा सुसंगत नहीं रह गये हैं) विधेयक, 2016
7. बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016
8. बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016
9. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक, 2016
10. बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016
11. बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2016
12. बिहार कृषि विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2016
13. बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2016
14. बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016

याचिका

इस सत्र में कुल 46 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 37 स्वीकृत हुए तथा 09 अस्वीकृत हुआ ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 133 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 110 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 23 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

प्रश्न

इस सत्र के दौरान कुल 755 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 584 प्रश्नों की सूचनाएँ स्वीकृत किया गया । स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में 05 अल्पसूचित, 467 तारांकित एवं 112 अतारांकित थे । इन स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में से 59 प्रश्न उत्तरित हुए तथा 94 प्रश्नोत्तर सभा पटल पर रखे गये । अपृष्ठ प्रश्नों की संख्या 10, उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या 03 एवं 418 प्रश्न अनागत हुए ।

ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 134 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिसमें से 08 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी तथा 121 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया एवं 05 ध्यानाकर्षण सूचनायें अमान्य हुए।

शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा लोकहित के विभिन्न विषयों को उठाया गया।

गैर सरकारी संकल्प

इस सत्र में कुल 91 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 88 सूचनाएँ स्वीकृत, 02 सूचनाएँ अस्वीकृत तथा 01 सूचना अमान्य हुआ।

संकल्प

दिनांक 16 अगस्त, 2016 को संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित "संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 के अनुसमर्थन का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया।

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतुप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

1. स्वर्गीय नारायण सिंह, पूर्व स०वि०स०
2. स्वर्गीय शकीलुर्रहमान, पूर्व स०वि०स० तथा पूर्व सांसद
3. स्वर्गीय माधवी सरकार, पूर्व स०वि०स०
4. स्वर्गीय चन्द्रमौलेश्वर सिंह ललन, पूर्व स०वि०स०
5. स्वर्गीय बिलट पासवान, पूर्व स०वि०स०
6. स्वर्गीय महेन्द्र नारायण झा, पूर्व स०वि०स०
7. स्वर्गीय मेदिनी पासवान, पूर्व स०वि०स०
8. स्वर्गीय राम नारायण राम, पूर्व स०वि०स०
9. स्वर्गीय अनवारूल हक, पूर्व स०वि०स० तथा पूर्व सांसद


दिनांक 16 अगस्त, 2016 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी, जिसके उपरंतं महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया।

सधन्यवाद

सेवा में,

.....
.....
.....

आपका विश्वासी


9/9/16

(राम श्रेष्ठ राय)

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

अ.म.रा.

09.09.16